

विधान परिषद् के प्रथम सत्र, 2023 के द्वितीय गुरुवार के लिये निर्धारित डा0 मान सिंह यादव,
मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-4 का उत्तर

प्रश्न

उत्तर

4 (क) क्या महिला कल्याण मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में कितने बालकों को बाल सुधार गृह में रखा गया है ?

प्रदेश में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय सम्प्रेक्षण गृहों में विगत तीन वर्षों में आवासित किशोरों/किशोरियों का विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	आवासित किशोर/किशोरियों की संख्या
2020-21	7459
2021-22	8113
2022-23	8871

(ख) उनमें से कितने बालकों को तय समय सीमा पूर्ण होने के उपरान्त किस प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं?

महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय सम्प्रेक्षण गृहों में विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर/किशोरियों को आवासन के दौरान निःशुल्क रहने, भोजन, वस्त्र के अतिरिक्त शिक्षा, कौशल व व्यवसायिक प्रशिक्षण, विधिक सहायता आदि सुविधायें दी जाती हैं। ऐसे किशोरों/किशोरियों को जमानत के उपरान्त उनके परिवारों में समायोजित करा दिया जाता है।

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

विवरण संलग्न है।

बेबी रानी मौर्य
मंत्री

प्रारूप

महिला कल्याण विभाग द्वारा सी0पी0एस0 योजनान्तर्गत विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों हेतु संचालित गृहों का विवरण					
क्र0सं0	संस्था व जनपद का नाम	प्रश्न संख्या 4 का बिन्दु (क) (क्या महिला कल्याण मंत्री बतायें कि प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में कितने बालकों को बाल सुधार गृह में रखा गया है?)			प्रश्न संख्या 4 का बिन्दु (ख) (उनमें से कितने बालकों को तय समय सीमा पूर्ण होने के उपरान्त किस प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं?)
		वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	
1	2	3	4	5	6
1	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), आगरा	573	509	552	संस्था में आवासन के दौरान कौशल विकास प्रशिक्षण
2	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), मथुरा	127	165	150	संस्था में आवासित किशोरों को 2018 से निरंतर मोबाइल रिपेयरिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसके अतिरिक्त जून 2022 से एल0ई0डी0 बल्ब बनाये जाने का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
3	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), ललितपुर	93	77	121	संस्था में आवासन के दौरान अपचारी किशोरों को शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, खेलकूद, योगा एवं बोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है।
4	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), लखनऊ	351	374	341	संस्था में अपचारी किशोरों के आवासन के दौरान भोजन, कपड़े, चिकित्सीय आदि की सुविधा एवं कौशल विकास के तहत विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान किये जाते हैं।
5	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), हरदोई	145	200	191	संस्था में आवासन के दौरान वर्ष 2022-23 में संस्था में आवासित किशोरों को प्रधामंत्री कौशल विकास योजना के तहत 03 माह का कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त कराया गया जिसमें से 16 किशोरों के हिमाचल के ऊना बहुअददेशीय कम्पनियों द्वारा रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुबन्धित किया गया है।
6	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), बरेली	253	246	283	संस्था में अपचारी किशोरों के आवासन के दौरान भोजन, कपड़े, चिकित्सीय आदि की सुविधा एवं कौशल विकास के तहत विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान किये जाते हैं।
7	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), मेरठ	149	188	297	ऐसा कोई भी अपचारी किशोर तय समय सीमा पूर्ण करने के उपरान्त संस्था में निरुद्ध नहीं रहा है।
8	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), मुजफ्फरनगर	42	87	89	संस्था में आवासन के दौरान कौशल विकास प्रशिक्षण के अन्तर्गत कम्प्यूटर प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया गया है।
9	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), मुरादाबाद	237	283	243	संस्था में आवासन के दौरान किशोर न्याय अधिनियम (बालकों की देख रेख एवं संरक्षण) के तहत समस्त सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।
10	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), वाराणसी	419	335	326	संस्था में आवासन के दौरान मा0 मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गत निरुद्ध किशोरों को Front Office Associate/Computer प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के किशोरों हेतु शिक्षा प्रदान किया जाता है। संस्था से मुक्त के पश्चात उनका फालोअप किया जाता है।
11	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), गोरखपुर	518	615	629	संस्था में आवासित बच्चों को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया था तथा उन बच्चों को जमानत होने के उपरान्त उनके अभिभावकों की अभिरक्षा में मुक्त किया गया।
12	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), मऊ	217	227	222	संस्था में आवासित रहने के दौरान ही किशोरों को कौशल विकास मिशन के तहत रोजगार परक प्रशिक्षण दिलाया जाता है।
13	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), बस्ती	130	179	192	संस्था में अपचारी किशोरों के आवासन के दौरान भोजन, कपड़े, चिकित्सीय आदि की सुविधा एवं कौशल विकास के तहत विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान किये जाते हैं।

14	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), प्रयागराज	573	889	1296	संस्था में आवासन के दौरान किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत सभी आधारभूत सुविधायें किशोर/बालकों को दी जा रही हैं।
15	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), कानपुर नगर	546	789	778	संस्था में आवासन के दौरान सभी प्रकार की आवश्यक एवं मूलभूत सुविधाएं दी गयीं।
16	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), फर्रुखाबाद	128	133	116	जमानत पर छोड़े गये वच्चे परिवार में समायोजित हो गये हैं।
17	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), आयोध्या	1502	1379	1380	अपचारी किशोरों को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार संस्था में प्रवेशित किया जाता है। प्रवेश होने के पश्चात अपचारी किशोरों को संस्था में आवासन के दौरान भोजन कपड़े चिकित्सा आदि की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है साथ ही मनोरंजन शिक्षा कम्प्यूटर हार्डवेयर का भी प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है एवं विधिक सहायता भी निःशुल्क दी जाती है।
18	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), गोण्डा	114	121	137	संस्था में आवासित रहने के दौरान ही किशोरों को कौशल विकास मिशन के तहत रोजगार परक प्रशिक्षण दिलाया जाता है।
19	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), चित्रकूट	160	183	198	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में विधि का उल्लंघन करने वाले विद्यार्थी किशोर अपचारियों को रखा जाता है। जमानत आदि होने पर बालक को इनके अभिभावकों के सुपुर्द कर दिया जाता है। संस्था में आवास के दौरान किशोर की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ शिक्षण-प्रशिक्षण, मनोरंजन आदि तथा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुरूप सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं।
20	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), मीरजापुर	222	237	210	संस्था में आवासन के दौरान महिला कल्याण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप सुविधाएं दी जा रही हैं।
21	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), बुलन्दशहर	147	199	195	तय समय सीमा के उपरान्त कोई किशोर संस्था में आवासित नहीं रहा है।
22	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), गौतमबुद्ध नगर	454	382	358	संस्था में आवासित किशोरों को मूलभूत सुविधाओं के अतिरिक्त शिक्षा, राष्ट्रीय विकास कौशल योजनान्तर्गत व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों/विभिन्न यूनिवर्सिटी/कालेजों के माध्यम से काउंसलिंग व अन्य एक्टिविटी कार्य कराया जाता है। मा0 न्यायालय द्वारा जमानत स्वीकार किये जाने पर मुक्त किये जाने के उपरान्त उनका फालोअप लिया जाता है।
23	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), इटावा	100	85	108	संस्था में अपचारी किशोरों के आवासन के दौरान भोजन, कपड़े, चिकित्सीय आदि की सुविधा एवं कौशल विकास के तहत विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान किये जाते हैं।
24	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), गाजीपुर	166	110	203	संस्था में रहने के दौरान शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
25	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), शाहजहांपुर	0	0	98	54 किशोर जमानत पर
26	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोरी), बाराबंकी	58	50	58	संस्था में प्रवेशित होने वाली किशोरियों को शासन द्वारा निर्धारित मीनू के अनुसार भोजन, कपड़े, बिस्तर, दवाइयों की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। किशोरियों के मनोरंजन हेतु एल0ई0डी0 टी0वी0 तथा इन्डोर गेम की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। किशोरियों की शिक्षा हेतु महिला अध्यापकों द्वारा शिक्षण का कार्य तथा योगा कराया जाता है। किशोरियों को सिलाई/काफ्ट प्रशिक्षण, ब्यूटी पार्लर, अचार मुरब्बा प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।
27	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोरी), गाजियाबाद	19	22	24	संस्था में अपचारी किशोरों के आवासन के दौरान भोजन, कपड़े, चिकित्सीय आदि की सुविधा एवं कौशल विकास के तहत विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान किये जाते हैं।
28	राजकीय प्लेस ऑफ सेफ्टी, गाजीपुर	16	49	76	संस्था में रहने के दौरान शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

Total

7459

8113

8871